उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्तिभवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–367–औ0सं0/2026–48–एएस0/24 **दिनांक– 10 फरवरी, 2026**

ई–मेल/तत्काल कार्यवाही

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः–विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 12.02.2026 को उ0प्र0 के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफार्म, इलेक्ट्रिसिटी एमेन्डमेन्ट बिल–2025 एवं अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन/आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 के पत्र सं0–592/संघर्ष दिनांक 30.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफार्म, इलेक्ट्रिसिटी एमेन्डमेन्ट बिल–2025 एवं अन्य मांगों को लेकर दिनांक 12.02.2026 को सभी जनपदों एवं परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन/आन्दोलन किये जाने का नोटिस दिया है।

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–3/205/24–पी–2–2025 दिनांक 04.12.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या–I/34397/2025-IR-17-Comp.no.8157 दिनांक 16.12.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन/विरोध प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना नियमतः अनुमन्य नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 12.02.2026 को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन/आन्दोलन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को अवकाश न स्वीकृत किया जाय तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 जॉन मथाई)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–367–औ0सं0/2026, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0) / (वितरण) / (वाणिज्य) / (आई0टी0) / (कारपोरेट प्लानिंग) / (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने एवं शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार की वीडियोग्राफी कराने हेतु।
8. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), / उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कारपोरेशन मुख्यालय / लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबंधक (औ0स0)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41/557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ – 226001

पत्र सं. – 592/संघर्ष 30.01.2026

सेवा में,

अध्यक्ष,
उप्रपाकालि/उप्रपाट्राकालि/यूपीराविउनिलि,
लखनऊ।

विषय :– **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में, आंदोलन के फलस्वरुप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने हेतु तथा इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में आंदोलन की सूचना**

महोदय,

कृपया निजीकरण की चल रही प्रक्रिया के विरोध में तथा आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने हेतु हमारे पूर्व में लिखे गए पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस संबंध में हम एक बार पुनः आपका ध्यान निम्नवत आकर्षित कराना चाहते हैं।

2. पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा घोषित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ 05 अप्रैल 2018 और 06 अक्टूबर 2020 को हुए लिखित समझौते का खुला उल्लंघन है।

05 अप्रैल 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी के साथ हुए लिखित समझौते में कहा गया है कि "उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जायेगा"।

06 अक्टूबर 2020 को मा. वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा के साथ हुए लिखित समझौते में कहा गया है कि "उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों और अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जायेगा"।

स्पष्ट है कि उक्त दोनों समझौतों के अनुसार सुधार की प्रक्रिया विद्युत वितरण निगमों के मौजूदा ढांचें में ही कर्मचारियों को विश्वास में लेकर की जानी चाहिए। मा. ऊर्जा मंत्री और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्रों को सौंपना उक्त दोनों समझौतों का साफ उल्लंघन है।

इसी प्रकार उक्त दोनों समझौतों में लिखा है कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का निजीकरण कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना नहीं किया जायेगा। अब पीपीपी मॉडल पर लिया गया निजीकरण का निर्णय उक्त दोनों समझौतों का साफ तौर पर उल्लंघन है।

3. उप्र में निजीकरण के नाम पर 01 अप्रैल 2010 को आगरा शहर की विद्युत व्यवस्था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाईजी के नाम पर टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी। इस प्रयोग से पॉवर कारपोरेशन को अरबों रूपये की क्षति हुई है और हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में पॉवर कारपोरेशन ने रूपये 5.55 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर टोरेंट कम्पनी को रूपये 4.36 प्रति यूनिट पर बेचा। लगभग 2300 मिलियन यूनिट बिजली बेचने में इस प्रकार पॉवर कारपोरेशन को वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग 275 करोड़ रूपये की क्षति हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023–24 में आगरा शहर का औसत बिजली विक्रय टैरिफ रूपया 7.98 प्रति यूनिट है। इस प्रकार टोरेंट कम्पनी ने एक वर्ष में लगभग 800 करोड़ रूपये का मुनाफा कमा लिया। यदि आगरा शहर की बिजली व्यवस्था पॉवर कारपोरेशन के पास होती तो पॉवर कारपोरेशन को लगभग 1000 करोड़ रूपये का मुनाफा होता।

पॉवर कारपोरेशन द्वारा विगत 14 वर्षों में खरीद की लागत से कम मूल्य पर टोरेंट कम्पनी को बिजली देने में लगभग 2434 करोड़ रूपये की क्षति हुई है। इस क्षति के अलावा आगरा के निजीकरण से पॉवर कारपोरेशन के राजस्व की क्षति कम से कम 7000 करोड़ रूपये की हो चुकी है।

निजीकरण का यह मॉडल पूरी तरह से पॉवर कारपोरेशन और प्रदेश की जनता पर एक भारी वित्तीय बोझ है।

4. 1993 में ग्रेटर नोएडा की बिजली व्यवस्था गोयनका ग्रुप की नोएडा पॉवर कम्पनी को दी गयी थी। करार के अनुसार नोएडा पॉवर कम्पनी को अपना विद्युत उत्पादन गृह स्थापित करना था जो उसने आज तक नहीं किया। इसके अतिरिक्त नोएडा पॉवर कम्पनी पर उपभोक्ताओं का शोषण करने और करार की शर्तों का उल्लंघन करने के गम्भीर आरोप हैं। उप्र सरकार नोएडा पॉवर कम्पनी का वितरण लाईसेंस समाप्त कराने हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है।

ऐसे में निजीकरण के इस विफल मॉडल को रद्द करने के बजाये इसे प्रदेश के 42 जनपदों में थोपने का क्या औचित्य है?

5. बिजली के निजीकरण का सबसे पहला प्रयोग उड़ीसा में 1999 में किया गया था। उड़ीसा में 1999 में एक वितरण कम्पनी का कार्य अमेरिका की एईएस कम्पनी को दिया गया और 3 वितरण कम्पनियों का काम रिलाइंस पॉवर को दिया गया था। वर्ष 2000 में उड़ीसा में सुपर साईक्लोन आने के बाद बिजली व्यवस्था का ढांचा ध्वस्त हो गया था। अमेरिका की एईएस कम्पनी ने इसके पुनर्निमाण पर पैसा खर्च करने से मना कर दिया और एईएस कम्पनी 1 साल बाद ही वापस अमेरिका भाग गयी। इसके बाद इस वितरण कम्पनी का कार्य सरकारी नियंत्रण में आ गया और यहां अच्छा कार्य होने लगा।

बाकी 3 वितरण कम्पनियां में रिलाइंस पॉवर कुछ भी सुधार नहीं कर पाई। उपभोक्ताओं का शोषण होता रहा और भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके विरोध में उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग में अपील की गयी और फरवरी 2015 में विद्युत नियामक आयोग ने तीनों कम्पनियों के लाईसेंस रद्द कर दिये तथा इन तीनों कम्पनियों को भी विद्युत नियामक आयोग ने टेकओवर कर लिया। एक प्रकार से यह तीनों कम्पनियां भी सरकारी नियंत्रण में आ गयी।

2015 से 2020 तक उड़ीसा की सभी विद्युत वितरण कम्पनियां सरकारी नियंत्रण में बहुत अच्छा काम करती रहीं। इस दौरान इन वितरण कम्पनियों में सरकार ने अरबों–खरबों रूपये का निवेश किया। जब उड़ीसा की विद्युत वितरण कम्पनियां बहुत अच्छे हालात में आ गयीं तब अचानक जून 2020 में चारों कम्पनियों को टाटा पॉवर को दे दिया गया।

6. निजीकरण के अन्य प्रयोग अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाईजी के नाम पर महाराष्ट्र में भिवंडी, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, मध्यप्रदेश में सांगर, उज्जैन, ग्वालियर, बिहार में भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर में प्रयोग किये गये जो पूरी तरह असफल रहे और इनको निरस्त करना पड़ा।

निजीकरण के सभी मॉडल बिजली के क्षेत्र में विफल प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को उप्र जैसे देश के सबसे बड़े प्रान्त में थोपने का कोई औचित्य नहीं है।

7. आगरा में जब 1 अप्रैल 2010 को आगरा की विद्युत वितरण व्यवस्था टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी थी तब पॉवर कारपोरेशन का आगरा शहर का बिजली राजस्व का बकाया 2200 करोड़ रूपये था। करार के अनुसार टोरेंट पॉवर कम्पनी को यह राजस्व वसूल कर पॉवर कारपोरेशन को वापस करना था। इसके एवज में टोरेंट पॉवर कम्पनी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि मिलनी थी। आज तक टोरेंट पॉवर कम्पनी ने पॉवर कारपोरेशन को यह 2200 करोड़ रूपये नहीं दिया है। टोरेंट कम्पनी यह धनराशि खा गयी।

8. उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली राजस्व का बकाया 40962 करोड़ रूपये है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली राजस्व का बकाया 24947 करोड़ रूपये है।

यदि दुर्भाग्यवश इन दोनों विद्युत वितरण निगमों को निजी घरानों को सौंप दिया गया तो लगभग 66000 करोड़ रूपये का राजस्व निजी कम्पनियां वसूल लेंगी और पॉवर कारपोरेशन को कभी वापस नहीं करेंगी। यह कहा जा रहा है कि निजी कम्पनियों की नजर 66000 करोड़ रूपये के राजस्व पर है।

9. भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण के लिए अरबों रूपये खर्च किये जा चुके हैं और किये जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं।

ऐसा लगता है कि प्रबन्धन द्वारा सुनियोजित ढंग से वितरण प्रणाली में सुधार कर इसे निजी क्षेत्र को सौंपने की कोई सांठ–गांठ है। जनता की इतनी बड़ी धनराशि खर्च करके उसे निजी क्षेत्र के हवाले कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है।

10. वर्ष 2016–17 में एटी एण्ड सी हानियां 41 प्रतिशत थीं। वर्ष 2017 के बाद बिजली कर्मियों ने अथक परिश्रम कर बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार किया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में एटी एण्ड सी हानियां 16.5 प्रतिशत रह गयी हैं। आरडीएसएस योजना के बाद लाइन हानियां 15 प्रतिशत से भी नीचे आने की पूरी सम्भावना है। पॉवर कारपोरेशन ने उप्र विद्युत नियामक आयोग को सौंपे गये वर्ष 2025–26 के ए आर आर में 13.82 प्रतिशत ए टी एण्ड सी हानियां लिखी हैं जो 15 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानक से कम है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में ही ए टी एण्ड सी हानियां 15 प्रतिशत से काफी कम होने जा रही हैं। इसके बाद उप्र के विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं है।

11. समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी हुई है कि पीपीपी मॉडल के तहत निजी कम्पनियों को पूरे वितरण निगम की समस्त जनपदों की पूरी जमीन मात्र 1 रूपये प्रति वर्ष की लीज पर सौंप दी जायेगी। ध्यान रहे कि सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरित की जाने वाली जमीन 1 रूपये प्रति वर्ष के टोकन लीज पर दी जाती है। निजी क्षेत्र को अरबों–खरबों रूपये की जमीन मात्र एक रूपये प्रति वर्ष की लीज पर सौंपना किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है।

समाचार पत्रों से यह जानकारी भी हुई है कि विद्युत वितरण निगमों की रिजर्व प्राइस 1500 से 1600 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि बिडिंग में यह रिजर्व प्राइस रहने के बाद अधिकतम लगभग 2000 करोड़ रूपये में इन विद्युत वितरण निगमों की सारी परिसम्पत्तियां निजी घरानों को सौंप दी जायेंगी।

इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 131 में लिखा है कि जब सरकारी कम्पनी की परिसम्पत्तियां किसी व्यक्ति या गैर सरकारी कम्पनी को हस्तांरित की जायेंगी तो इसके पहले कम्पनी का रेवेन्यू पोटेन्सियल और परिसम्पत्तियों की फेयर वैल्यू का मूल्यांकन जरूरी है। इससे कम पर इसे निजी कम्पनी को नहीं दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में अरबों–खरबों रूपये की बिजली की परिसम्पत्तियां का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। सवाल यह उठता है कि इन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किये बगैर 1500 – 1600 करोड़ रूपये की रिजर्व प्राइस तय करना बहुत बड़ा घोटाला है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का वर्ष 2024–25 का बिजली राजस्व का लक्ष्य 15596 करोड़ रूपये है। इसी प्रकार दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का वर्ष 2024–25 का बिजली राजस्व का लक्ष्य 13938 करोड़ रूपये है। ध्यान रहे कि लक्ष्य पोटेंशियल से कम ही रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन निगमों का राजस्व पोटेंशियल 29534 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके बावजूद इसे कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश है।

12. ओबरा एवं अनपरा प्रारम्भ से ही उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप बिजली घर हैं। अब ओबरा में 2X800 मेगा वाट क्षमता की ओबरा 'डी' परियोजना एनटीपीसी लि की ज्वाइंट वेंचर कम्पनी को और 2X800 मेगावाट क्षमता की अनपरा 'ई' परियोजना एनटीपीसी लि की ज्वाइंट वेंचर कम्पनी को सौंपना पूरी तरह गलत निर्णय है। इस निर्णय से प्रदेश को इन परियोजनाओं से मंहगी बिजली मिलेगी और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं के कैरियर का भी नुकसान होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ओबरा और अनपरा में विद्युत उत्पादन निगम की कालोनी तोड़ कर नयी परियोजनायें स्थापित की जा रहीं हैं।

13. टैरिफ बेस्ड कम्पटीटिव बिडिंग के नाम पर नई बनने वाली ट्रांसमिशन की सभी परियोजनायें निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही हैं जिसका व्हीलिंग चार्जेज का भार आम उपभोक्ता पर डाला जा रहा है। उप्र पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों और अभियन्ताओं के कैरियर की भी क्षति हो रही है।

14. 25 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, मंत्रि परिषद के कई सदस्यों, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव(ऊर्जा) के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के हुए लिखित समझौते में कहा गया है कि "अन्तरण स्कीम के लागू होने के 1 वर्ष बाद इससे हुई उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो उप्र राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जायेगा।"

15. इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 में स्पष्ट लिखा है कि बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा किसी भी समय 14 जनवरी 2000 को मिल रही सुविधा की तुलना में कमतर नहीं होगी। इसका गजट नोटिफिकेशन भी है। इसका खुला उल्लंघन करते हुए निजीकरण की दृष्टि से बिजली कर्मियों के निवास पर स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश जारी किये गये हैं और जबरन लगाये जा रहे हैं।

16. निजीकरण की दृष्टि से अत्यन्त अल्प वेतन भोगी निविदा/संविदा कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। मार्च 2023 की सांकेतिक हड़ताल के बाद ऊर्जा मंत्री से हुए समझौते के बावजूद हटाये गये सैकड़ों संविदा कर्मियों को अभी तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया है। डाउनसाईजिंग के नाम पर 40 प्रतिशत संविदा कर्मी हटाये जा रहे हैं और 55 वर्ष की आयु के बाद संविदा कर्मी हटाये जा रहे हैं। यह सब निजी घरानों को सुविधा देने के लिए किया जा रहा है।

17. 19 मार्च 2023 को माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को दिए गए निर्देश का पालन करते हुए मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कारवाइयां तत्काल वापस ली जाए। निजीकरण के विरोध में चल रहे वर्तमान आंदोलन के फलस्वरुप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त की जाए।

18. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समित, उप्र की 23 जनवरी, 2026 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयानुसार हमारी मांग है किः–

- **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में एवं बिजली उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस लिया जाये। 5 अप्रैल 2018 एवं 6 अक्टूबर 2020 के समझौते का सम्मान करते हुए इन विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाये। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर इन वितरण निगमों के मौजूदा ढांचे में सुधार किया जाये जिसके लिए सभी बिजली कर्मचारी संकल्पबद्ध हैं।**
- **इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का दस्तावेज है इसे तत्काल वापस किया जाए।**
- **ग्रेटर नोएडा में बिजली के निजीकरण और आगरा में अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का करार व्यापक जनहित में निरस्त किया जाये।**
- **निजीकरण की दृष्टि से बिजली कर्मियों की रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने हेतु स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश तत्काल वापस लिये जायें।**
- **निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाये जाने के आदेश निरस्त किये जायें। मार्च 2023 में सांकेतिक हड़ताल के दौरान हटाये गये सभी संविदा कर्मियों को ऊर्जा मंत्री के 19 मार्च 2023 की घोषणा एवं समझौते के पालन में तत्काल काम पर रखा जाये।**
- **ऊर्जा मंत्री के 19 मार्च के निर्देश व समझौते के क्रियान्वयन में मार्च 2023 में बिजली कर्मियों पर की गयी उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियां वापस ली जायें। साथ ही निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां भी तत्काल समाप्तकी जाए।**
- **2X800 मेगावाट क्षमता की ओबरा 'डी' परियोजना एवं 2X800 मेगावाट क्षमता की अनपरा 'ई' परियेजना का कार्य व्यापक जनहित में उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पूरी तरह सौंपा जाये।**
- **पारेषण में टैरिफ बेस्ड कम्पटीटिव बिडिंग के नाम पर नई परियोजनाओं का निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाये।**
- **25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुरूप उप्र राज्य विद्युत परिषद के विघटन के फलस्वरूप हुई भारी क्षति को देखते हुए उप्र पावर कारपोरेशन लि, उप्र जल विद्युत निगम लि, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि, उप्र पारेषण निगम लि और समस्त विद्युत वितरण निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लि का पुनर्गठन किया जाये।**
- **वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाय।**

19. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र आपको सूचित करती है कि उक्त मांगों के समर्थन में प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता आगामी 12 फरवरी को सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

आदर सहित,

(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

(जितेन्द्र सिंह गुर्जर)
महासचिव
उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

(गिरीश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र

(महेन्द्र राय)
मुख्य महामंत्री
उप्र बिजली कर्मचारी संघ

(पी के दीक्षित)
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र

(सुहैल आबिद)
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन

Vivek Singh
(विवेक सिंह)
महामंत्री
उप्र विद्युत मजदूर संघ

(मोहम्मद वसीम)
केन्द्रीय महासचिव
रा.वि.प.प्राविधिक कर्मचारी संघ, उप्र

(छोटे लाल दीक्षित)
प्रान्तीय अध्यक्ष
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उप्र

(विमल चंद्र पाण्डेय)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर संगठन, उप्र

(योगेन्द्र कुमार)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उप्र

(विशम्भर सिंह)
महामंत्री
यूपी बिजली इम्प. यू. उप्र(सीटू)

(राम सहारे वर्मा)
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उप्र

(पी एस बाजपेयी)
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ

(जी.पी. सिंह)
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन

(रफीक अहमद)
महामंत्री
बिजली मजदूर यूनियन उप्र (एचएमएस)

(देवेन्द्र पाण्डेय)
महामंत्री
उप्र पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा
कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :–

1. मा. मुख्यमंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मा. ऊर्जा मंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।
3. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. उपश्रमायुक्त, लखनऊ।

UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-I/34397/2025-IR-17- comp no. 8157 **दिनांक 16-12-2025**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषयः उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम—1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ एस०एल०डी०सी०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन।
5. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) /वित्त/ वितरण / वाणिज्य / करापोरेट प्लानिंग / आई०टी०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

File No. PAUPPC-GMIR0UNON/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 18/12/2025 12:11 pm

15. अधिशासी अभियंता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि उ०प० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/ सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।
संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

270809/2025/10000282

पंजी० संख्या 3421 डी०सं०-17/पत्रालि/25

पत्रबली संख्या.............................

क्रमांक.............................

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग

I/1163472/2025

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-3/205/24-पी-2-2025

लखनऊ:दिनांक 04.12.2025

<u>अधिसूचना</u>

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर पदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, कैस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

राजकुमार
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.12.2025 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

S/O
Kumar 8/12/25

PO/SO
08-12-25

Smt Nansi Gupta
Put up on e-office
Kumar
08/12/25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. PAUPPC-GMIR0UNON/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 18/12/2025 12:13 pm

270809/2025/10000282

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163472/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अध्यक्ष, उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लि॰, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लि॰, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ॰प्र॰ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि॰, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ॰प्र॰।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ॰प्र॰ लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग-1।
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, लखनऊ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि॰, वाराणसी।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, मेरठ।
(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि॰, आगरा।
(15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. PA/UPPC-GMIR0UNUN/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 18/12/2025 12:13 pm